


कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

(sp-bilaspur.cg@gov.in) T.P.No. 07752-223330, Fax 07752-25020

आदेश


कार्यालयीन आदेश क्रमांक- उमनि/वपुअ/बिला./रीडर-1/आदेश/40/26 दिनांक 30 मई 2026 के द्वारा थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर के अपराध क्रमांक 383/2026 धारा 64(2)(M), 65(2), 351(3) बीएनएस, 04(2), 05(L), 05(M), 06 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण नाबालिक बच्चियों के विरुद्ध घटित महत्वपूर्ण एवं गंभीर अपराध की संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए सूक्ष्मता से विवेचना हेतु सुश्री अनिताप्रभा मिंज, उप पुलिस अधीक्षक, IUCAW, बिलासपुर को अग्रिम विवेचना सौंपी गई थी। सुश्री अनिताप्रभा मिंज, उप पुलिस अधीक्षक, IUCAW, बिलासपुर के अवकाश में रहने के कारण प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु श्रीमती रश्मि कौर चावला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, IUCAW, बिलासपुर को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है, एवं निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की लगातार सूक्ष्मता से विवेचना करें, समयावधि में विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत करें तथा विवेचना की साप्ताहिक प्रगति से मुझे अवगत करावें।

  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

पृष्ठा.क्रमांक- उ.म.नि./व.पु.अ./बिला./रीडर-1/आदेश/40-4/26, बिलासपुर, 11 जून, 2026

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, बिलासपुर को सूचनार्थ
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, IUCAW, बिलासपुर को पालनार्थ
4. नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन, बिलासपुर को सूचनार्थ
5. थाना प्रभारी- थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ।

  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
बिलासपुर, छत्तीसगढ़